**B-1 143**

**\प्रशासकीय विभाग को भेजे जाने वाला आदेश (1)**

**मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,**

**//आदेश//**

**भोपाल दिनांक 03/03/2015**

फा0क्रमांक 1(सी) /26/21-ब(दो)/2014, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.8.14 को निरस्त करते हुए राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (क्रं0 2 सन 1974) की धारा 24(8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भोपाल स्थित अपर सत्र न्यायालयों में प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंधित विचाराधीन सत्र प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नानुसार एतदद्वारा निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है :-

1. श्री ए.के. सक्सेना, उपसंचालक, अभियोजन अधिकारी, भोपाल

2. श्री नरेश कुमार गुप्ता, साहयक जिला अभियोजन अधिकारी, बैरसिया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

प्रतिलिपि:-

1 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला भोपाल, (म0प्र0)

2 - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल

3 - समस्त अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल

4 - शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला, भोपाल

5 - पुलिस महानिरीक्षक, एस.टी.एस, भोपाल (म.प्र.)

द87/15/दो/ए-1 दिनांक 25.2.15 के संदर्भ में आदेश की प्रति नस्ती पर संलग्न कर नस्ती मूलतः लौटाई जाती है |

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

**(2)**

प्रति,

कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी,

जिला पन्ना म0प्र0

विषय:- श्री पुनीत तिवारी अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा अनियमित विधि विरुध्द शासन को हानि पहुचने के आशय से किये जा रहे कार्यो के संबंध में प्रतिवेदन भेजने बाबत् |

--0--

उपरोक्त विषयक इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 3800 दिनांक 23.07.2015 द्वारा श्री साबिर सिद्धिकी अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के शिकायती पत्र दिनांक 06.07.2015 की छायाप्रति संलग्न भेजकर,शिकायत की जांच कर जांच प्रतिवेद इस विभाग को भेजने का अनुरोध किया गया था | जो आज दिनांक तक अप्राप्त है |

अत: निर्देशानुसार आपसे पुन: अनुरोध है कि जांच प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें |

प्रतिलिपि:-

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता) उच्च न्यायालय जबलपुर को उनके ज्ञापन क्रमांक 983/जनरल /129/2015, दिनांक 21.07.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है|

**प्रकरण में नियुक्ति आदेश (3)**

फा0क्रमांक 1(सी)/11/21-ब(दो)/2012, राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रं0 2 सन 1974) की धारा 24(8) द्वारा प्रदंत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय में विचाराधीन सत्र प्रकरण क्रमांक 479/2013 म.प्र.शासन विरुध्द कल्पना पारुलकर (अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल के अपराध क्रमांक 52/2011) अंतर्गत धारा 469, 471, 473, 476, 120-बी भा0द0वि0 एवं धारा 66-ए, 66सी, आई.टी.एक्ट को विशेष प्रकरण मानकर म.प्र.शासन की ओर से पक्षसमर्थन करने हेतु श्री मनीष दत, अधिवक्ता जबलपुर को भी, एतद्द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है|

श्री मनीष दत, अधिवक्ता जबलपुर को उनके द्वारा प्रदत्त सहमति एवं सेवा शर्त दिनांक 6.2.2012 के अनुक्रम में उपरोक्त प्रकरण में पैरवी करने के फलस्वरूप देय फीस का भुगतान प्रशासकीय विभाग द्वारा देय होगा |

प्रतिलिपि :-

1 - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला भोपाल, (म0प्र0)

2 - पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग, म.प्र. भोपाल

3 - सचिव,म.प्र.शासन, गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0) की ओर आपकी नस्ती यू.ओं.क्रमांक 252/2014/दो/सी -2 दिनांक 27.8.14 के संदर्भ में आदेश की प्रति संलग्न कर नस्ती लौटाई जाती है |

4 - श्री मनीष दत्त, अधिवक्ता, 1166 नेपियर टाउन, 4 ब्रिज के पास, जबलपुर, (म0प्र0)

5 - श्री पी.एम.शेवडे, अधिवक्ता (से.नि.उप.संचा.अभि.) निवासी 85- लक्ष्मी परिसर,बावडियाकला गुलमोहर, भोपाल (म0प्र0)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित |

141 B-2

**विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता आदेश** **(4)**

फा0क्रमांक 1(सी)/08/2015/एट्रोसिटी/21-ब(दो), राज्य शासन, अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 की धारा -14 के अनुसार उज्जैन जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री रूप सिंह राठौर, अधिवक्ता को जिला उज्जैन में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है |

उक्त नियुक्ति श्री रूप सिंह राठौर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तिन वर्ष के लिये होगी | यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है | किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे | विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा |

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कर्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 03.11.2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171)विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा | जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा |

टिप-श्री रूप शिंह राठौर की जन्मतिथि 02/01/1962(दो जनवरी उन्नीस सौ बासठ) है, दिनांक 02/01/2014 को आयु 62 (बासठ) वर्ष पूर्ण होगी

प्रतिलिपि :-

1. उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
2. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर,
3. आयुक्त,उज्जैन संभाग उज्जैन म0प्र0
4. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, उज्जैन म0प्र0
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन म0प्र0,
6. प्रमुख सचीव,म0प्र0 शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
7. संचालक,लोक अभियोजन, संचालनालय, भदभदा रोड़, भोपाल, म0प्र0
8. प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय , भोपाल
9. माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव,
10. बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल, म0प्र0
11. श्री रूप सिंह राठौर पुत्र स्व.श्री अजय सिंह राठौर, निवासी- अवंतिपुरा उज्जैन,म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

**B-1 106**  **(5)**

श्री अतुल ठाकुर, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 नसरुलागंज जिला सीहोर वर्तमान में उचेहरा जिला सतना को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 10(9) के अंतर्गत अनुशासानात्मक कार्यवाही फलस्वरूप सेवा से पदच्युत किये जाने के विरुध्द महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत अपील/अभ्यावेदन के संबंध में |

पंजी क्रमांक 2582/21-ब(एक)दि.01.09.2015

---------

कृपया महामहिम राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 27.08.2015 का अवलोकन कीजिये|

उक्त ज्ञापन में राज्यपाल सचिवालय द्वारा **श्री अतुल ठाकुर, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नसरुल्लागंज, जिला सिहोर** वर्तमान में **उचेहरा, जिला सतना** को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील )नियम,1966 10 (9) के अंतर्गत सेवा से पदच्युत किए जाने के विरुध्द महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत अपील /अभ्यावेदन पर वर्णित बिन्दुओं पर विधि,नियम,निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया है |

**श्री अतुल ठाकुर तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2** को उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर दिनांक 19.07.2015 को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 10(9) के अंतर्गत सेवा से पदच्युत किया गया है |

अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्य तथा आचरण पर माननीय उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहता है |

अत: प्राप्त अभ्यावेदन / अपील को, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ओर माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय की अनुमति से उच्च न्यायालय का अभिमत प्रकट किये जाने हेतु, प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है |

ज्ञापन के प्रारूप सहित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है |

**B-1 107** **(6)**

रजिस्ट्री, म.प्र. उच्च न्यायालय ने अपने ज्ञापन दिनांक 15.10.2015 के साथ श्री ए.के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय, धार के चिकित्सा देयक प्रस्तुत करने में हुए विलंब के कारणों का उल्लेख कर रजिस्ट्री को 6 माह पश्चात देयक प्राप्त होने पर विलंब अवधि का दोषमार्जन करने का अनुरोध किया है |

म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के नियम 8(1) में व्यवस्था है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का आवेदन विहित पपत्र में, व्यय किये जाने की तारीख से 6 माह के भीतर नियन्त्रण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जो कर्मचारी विहित समयावधि में दावे प्रस्तुत न करें उन्हें यह निर्देश है कि केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही विशेष अनुमति के लिये सिफारिश की जाए | (लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग परिपत्र क्र. 317 / 3356 / 82 / 17 /मेडी-4 दिनांक 01.02.1983) वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012, भाग-1 की कंडिका 2.2 के अनुसार देयकों के विलंब के दोषमर्जन हेतु विभाग प्रमुख को शक्तियां प्राप्त है |

आवेदन में कार्यालयीन प्रक्रिया एवं डाक आदि में अधिक समय होने का विलंब दर्शाया गया है, जो विलंब का कारण सम्बंधित आवेदन की शक्ति के बाहर होने में विलंब का कारण संतोषजनक पाते हुये उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा देयक को प्रस्तुत करने पर 6 माह पश्चात हुए विलंब अवधि का दोषमार्जन किया जाना प्रस्तावित है |

प्रस्ताव स्वच्छ प्रति के साथ अनुमोदन एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है |

**B-1 126 (7)**

प्रतियोगात्मक परीक्षा 2015 के माध्यम से 1 सिविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्ते) नियम, 1994, यथासंशोधित नियम 5(1)(ख) के अंतर्गत जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति के संबंध में |

पंजी क्र. 1480 / 21 – ब(एक), दिनांक 20.05.2015

क्रपया अघःस्थित अभिलेख का अवलोकन कीजिये |

उच्च न्यायालय ने अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 91 /परीक्षा/2015 दिनांक 20.05.2015 के अनुसार 2 पदों के विरुध्द आयोजित परीक्षा में श्री अवधेश कुमार गुप्ता को जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्ते) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1)(ख) के अंतर्गत सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी संवर्ग के सदस्य की सिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से (योग्यता के आधार पर) पदोन्नति द्वारा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)के पद पर नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की है |

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (1) के प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीश के पद पर,नियुक्ति राज्य शासन द्वरा की जाती है, तथा संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का प्रसासनिक नियंत्रण है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य का पर्यवेक्षण किया जाता है |

अत: माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा के अनुसरण में मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्ते) (संशोधित) नियम, 1994 के नियम 5(1) (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्ति के पूर्व माननीय विधि मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है तत्पश्चात मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त कर आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे |

**B-1 127 (8)**

न्यायिक अधिकायों की सेवाएं श्रम विभाग को सौंपने के संबंध मे|

पंजी क्रमांक 891 / 21-ब(एक) दिनांक 24.03.2015

रजिस्ट्री, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 236 दिनांक 20.03.2013 का अवलोकन कीजिये |

उच्च न्यायालय ने उक्त अर्द्ध शासकीय पत्र में औध्योगिक विवाद अधिनिम, 1947 (1947का 14) की धारा-7 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नानुसार न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु सौंपे जाने की अनुशंसा की है-

1. श्री निसार अहमद, दशम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जबलपुर को श्री एम.के. त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, होशंगाबाद के स्थान पर
2. श्री राजकुमार वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडवाह जिला मण्डलेश्वर को श्री आर.एल करोरिया, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय,इंदौर के स्थान पर
3. श्री सुधीर मिश्रा,व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटारसी को श्री आर.एस. चुंडावत, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, भोपाल के स्थान पर
4. श्री महेश कुमार चौहान, व्यवहार न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेटलावद जिला झाबुआ को श्री ए.के. धाकड़ पीठासीन अधिकारी,श्रम न्यायालय, मंदसौर के स्थान पर
5. श्री आनंद कुमार सेहलाम, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1, जबलपुर को श्रीमती शालिनी शर्मा, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय,छिन्दवाडा के स्थान पर
6. श्री संतोष कुमार गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परसिया जिला छिंदवाडा को श्री ए.के.पाठक, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय ग्वालियर के स्थान पर,

प्रस्ताव पर माननीय विधि मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात श्रम विभाग को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है |

**B-1 115 (9)**

कुटुम्ब न्यायालय में सेवारत / सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति

---------

पंजी क्र. 1354 / 21-ब(एक), दिनांक 12.05.2015

कृपया रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय के अर्धशासकीय पत्र क्र. 470 दिनांक 11.5.15 का अवलोकन कीजिये |

उच्च न्यायालय ने अपने पत्र के पैरा 1 लगायत 4 में अलग – अलग प्रस्ताव दिये है | जिनकी स्थिति निम्नानुसार है :-

1. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को स्थापित एवं नवीन कुटुम्ब न्यायालय में 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा आगामी आदेश होने तक (जो भी पहले हो ) निम्नानुसार कार्य के लिये अनुशंसा की है

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र. | नाम | पदस्थापना | 62 वर्ष की आयु |

2 – साथ ही श्री राजकुमार पांडे, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश तथा श्री रमाकांत दुबे जो कि दि. 31.05.15 को अधिवार्षिक आयु पूर्ण करेंगे | इनके लिये 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा आगामी आदेश होने (जो भी पहले हो) के लिये कुटुम्ब न्यायालय में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की है | की पदस्थापना संबंधी आदेश बाद में जारी किया जाना सुनिश्चित है |

3 –नवीन कुटुम्ब न्यायालय हरदा तथा नरसिंहपुर में स्थापित किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी किये जाने का भी अनुरोध किया गया है |

प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत |

**B-1 109 (10)**

श्री प्रदीप कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल द्वारा 20 वर्ष की सेवा अवधि तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्वेक्षिक सेवानिवृत्ति लिये जाने के संबंध में |

पंजी क्रमांक 1061 / 21 – ब(एक)दिनांक 09.04.2015

श्री प्रदीप कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र सहपत्र सहित का अवलोकन कीजिये |

उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रदीप कुमार वर्मा की जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1955 है तथा न्यायिक सेवा से उनकी सेवा- निव्रत्ती होने की अधिवार्षिकी आयु 31 अक्टूबर, 2015 को पूर्ण होगी |

श्री वर्मा को सदस्य म.प्र.माध्यम अधिकरण भोपाल के पद पर (कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि अर्थात 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक की अवधि के लिए) नियुक्ति हेतु कार्यालयिन आदेश (न्यायिक शाखा-2) दिनांक 01.04.2015 जारी किया गया है |

श्री प्रदीप वर्मा द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा सर्विसेज पेंशन नियम,1976 के नियम 42(1)(क) के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र -28 पर आवेदन पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया है, जिसकी एक प्रति उच्च न्यायालय, जबलपुर को प्रेषित की है, आवेदन पत्र में स्वेक्छिक सेवा निवृत्ति **नियमानुसार एक माह की सुचना अथवा एक माह के वेतन भत्ते की रकम जमा करने की अनिवार्यता से विमुक्त करने का** अनुरोध किया है | श्री वर्मा ने उच्चतर न्यायिक सेवा से 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर स्वेक्छिक सेवानिवृत्ति का निर्णय म.प्र.माध्यस्थम अधिकरण भोपाल में सदस्य के पद पर नामांकित किये जाने के फलस्वरूप लिया है, जो युक्तियुक्त है |

अत: उक्त परिस्थिति पर विचार करते हुए राज्य शासन द्वारा स्वेक्छिक सेवानिवृत्ति की सुचना की एक माह की अवधि का **अधित्यजन** किया जाना उचित प्रतीत होता है | एक माह के नोटिस के संबंध में **अधित्यजन** किये जाने हेतु माननीय विधि मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन एवं मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी के आदेश प्राप्त किया जाना प्रार्थित है |

यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के समस्त न्यायिक सेवा के सदस्यों की सेवा पर उच्च न्यायालय से आज दिनांक तक कोई प्रस्ताव/अनुशंसा प्राप्त नहीं है |

**अभियोजन शाखा -(11)**

विषय :- अप.क्र. 03 / 11 आरोपी श्री देवदत्त, उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल के विरुध्द अभियोजन स्वीकृति बाबत् |

--0—

उपरोक्त विषयक इस विभाग के समसंख्यक अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 15.10.2014 द्वारा अपराध क्रमांक 03/11 श्री देवदत्त, उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल का प्रकरण आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था | उक्त संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल से प्राप्त स्मरण पत्र की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार अनुरोध है कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर इस विभाग को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को अवगत करने का कष्ट करें |

फा.क्र. 8 / 309 / 14 / 21-क(अभि), भोपाल दिनांक /04/2015

प्रतिलिपि:-

महानिरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ई.ओ.डब्ल्यू मध्यप्रदेश, ई.ओ.डब्ल्यू भवन,अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित |

**B-1 128 (12)**

म.प्र. में पदस्थ न्यायधिशों के जाती प्रमाण-पत्र की शिकायत के संबंध में जाँच |

पंजी क्र 283 एवं 284 / 21 – ब(एक) दिनांक 27.01.2015

कृपया कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. के ज्ञापन दिनांक 22.01.2015 का अवलोकन कीजिये |

उक्त संबंध में कार्यालयिन ज्ञापन दिनांक 21.01.2015 के संबंध में कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र. ने सरल क्र. 1 से 18 तक से संबंधी वर्तमान में की गई कार्यवाही से अवगत कराया है, जिसमें 3, 11, 13 एवं 16 के संबंध में आयुक्त, आदिम जाती अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर,छत्तीसगढ़ शासन आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण,सतपुड़ा भवन, भोपाल तथा आयुक्त,अनुसूचित जाति विकास म.प्र. से आवश्यक कार्यवाही हेतु संपर्क करने का लेख है | साथ ही श्री जयदीप सिंह तथा श्री जयदीप कश्यप एक ही अधिकारी है, इस विवरण की जाँच कर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध भी किया है |

उपरोक्त स्थिति में अनुरोध है कि आयुक्त,आदिवासी विकास द्वरा श्री जयदीप कश्यप एक ही अधिकारी है, इसी पुष्टि करने का अनुरोध किया है जिसके संबंध में अनुरोध है कि उपलब्ध अभिलेख /नस्ती अनुसार श्री जयदीप शिंह तथा जयदीप कश्यप एक ही अधिकारी होना प्रतीत होता है, एक ही अधिकारी के नाम का उल्लेख दो अलग अलग प्रकार से किया गया है, जिसके संबंध में संबंधित विभाग को नस्ती के अनुमोदन पश्चात अवगत कराया जाना प्रस्तावित है |

अत: प्राप्त पत्र की छायाप्रति उच्च न्यायालय की ओर प्रेषित कर सूची में उल्लेखित सरल क्र.1 पर अंकित श्री आर.के.यादव के संदेहास्पद जाति प्रमाण एवं सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की अभिप्रमाणित प्रति तथा स्थायी वर्तमान पते की जानकारी मंगाया जाना एवं सरल क्र. 18 पर अंकित श्री एम.एस.रावत के संबंध में उच्च न्यायालय को की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए उपरोक्तानुसार अन्य विभागो को भी पत्र जारी किया जाना उचित होगा |

भेजे जाने वाले ज्ञापन का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है |

**B-1 130 (13)**

नवीन, स्वीकृत पदों की डी.डी.ओ.क्रं.18002103001 में प्रविष्टि किये जाने के संबंध में |

पंजी क्रमांक 2697 / 21-ब(एक),दिनांक 12.08.2014

---०००---

कृपया रजिस्ट्रार (प्रशासन) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक सी / 2692 / दो -14-41 / 02, दिनांक 07.08.2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें |

उक्त ज्ञापन में क्रमांक 1 से 11 तक उल्लेखित नवीन स्वीकृत पदों की डी.डी.ओ.क्रं.1802103001 में प्रविष्टि किये जाने के कार्यालय कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है | जिसके संबंध में उच्च न्यायालय ने आयुक्त,कोष एवं लेखा को ज्ञापन प्रेषित कर इस कार्यालय से भी अनुरोध किया है |

आयुक्त,कोष एवं लेखा तथा रजिस्ट्रार,प्रशासन उच्च न्यायालय को प्रेषित किये जाने वाले ज्ञापन की स्वच्छ प्रति अनुमोदन व हस्ताक्षर हेतु सादर प्रस्तुत है |

**B-1 131 (14)**

फा. क्रमांक I-1 / 2002 / 21-ब(एक)2956, राज्य शासन एतद्द्वारा,म.प्र.उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 06.10.2015 को मान्य करते हुए श्री प्रताप शिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,नीमच मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 11.09.2015 से स्वीकृत करता है |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

पृ. क्रमांक I-1 /2002 /21 –ब(एक)2956, भोपाल दिनांक अक्टूबर,2015

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 395 / गोपनीय /2015/दो-2-33 /57 (भाग-11बी)दिनांक 06.10.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषति,
2. श्री प्रताप सिंह कुशवाहा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच की ओर सूचनार्थ,
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ,
4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, ओर म.प्र.राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित |

**B-1 116 (15)**

फा.क्रमांक I-1/2002/21 –ब (एक)/2105, राज्य शासन, उच्च न्यायाधीय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा की सदस्य श्रीमती आशा गौधा, अतिरिक्त सेंशन न्यायाधीश,विशेष न्यायालय क्र. 9, विधुत अधिनियम 2003 के अंतर्गत को, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर, श्री ऋषभ कुमार सिंघई के स्थान पर एतद्द्वारा, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है |

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा |

पृ.फा.क्र. I-1 /2002 /21-ब (एक)/ 2105, भोपाल दिनांक 07.2015

प्रतिलिपि :-

1 – रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर उनके अर्धशासकीय पत्र क्र. 687 / गोप / 2015 / दो-2-33 / 57 भाग -11 बी, दिनांक 09.07.2015 के सन्दर्भ में,

2 – महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

3 – श्रीमती आशा गोधा,अतिरिक्त सेंशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 9, विधुत अधिनियम 2003 के अंतर्गत की ओर सूचनार्थ प्रेषित,

4 – उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित,

**B-1 116 (16)**

फा क्रमांक I-1 /2002 /21 –ब(एक)/ 3128, राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब